1176/09-11-2020

दिनांक– 06.11.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेशः–

उपस्थितिः– यथा पंजी संधारित।

1. **हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी के कार्यों की समीक्षाः–** निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 05.11.2020 को हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी के साथ की गई बैठक के आधार पर हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी के प्रगति की निम्न स्थिति पाई गईः–

   (i) हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी IIC द्वारा अभी तक सभी जिलों में कार्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं।

   (ii) चयनित जिलों में तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी द्वारा मानवबल एवं ई0टी0एस0 की आपूर्ति की स्थितिः–

क्र0सं0	एजेन्सी का नाम	ई0टी0एस0	प्रिज्म	कर्मी
01.	**IIC Technology**	15	15	15
02.	**GIS Consortium**	11	36	15
03.	**IL&FS**	13	26	13

   (iii) प्रतिवेदित सप्ताह में मात्र IL&FS एजेन्सी द्वारा A4 साईज में 133 मानचित्र उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि गत् सप्ताह तक IIC द्वारा 146 ऑर्थोफोटोग्राफ उपलब्ध कराए गए हैं एवं GIS Consortium एजेंसी द्वारा अभी तक ऑर्थोफोटोग्राफ उपलब्ध नहीं कराया गया है।

   (iv) तीन एजेंसी IIC, GIS Consortium एवं IL&FS द्वारा क्रमशः 262, 204 एवं 24 ग्रामों का प्रतिवेदन प्रपत्र– II एवं III में उपलब्ध कराया गया है।

अपर मुख्य सचिव द्वारा हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी के प्रगति प्रतिवेदन पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं निदेश दिया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी IIC को एक सप्ताह में सभी सम्बन्धित जिलों में कार्यालय स्थापित करने के निदेश दिया जाए। सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों से एकरारनामा के अनुसार मानवबल एवं ई0टी0एस0 उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निश्चित समय–सीमा मांगी जाए।

(अनुपालन–तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी)

2. **बजट का प्रावधानः–** बैठक में प्रतिवेदन किए गए बजट संबंधी प्रतिवेदन पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम Unspent Balance को स्पष्ट किया जाए। भारत सरकार/राज्य सरकार विभिन्न मदों में प्राप्त राशि में अलग–अलग मदों में कितनी राशि व्यय की गई और शेष कितनी राशि रह गई इसका स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार किया जाए। बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव तैयार करने में सर्वप्रथम आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट भूमिका दी जाए। इसके पश्चात् मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न मदों में होनेवाले व्यय यथा प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार वाहन, प्लॉटर रख–रखाव, आकस्मिक व्यय का स्पष्ट आकलन कर यह स्पष्ट किया जाए कि किस मद में कितने राशि की आवश्यकता होगी।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

3. **सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को वित्तीय शक्ति देने एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो को ईंधन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में:–** निदेशित किया गया कि जिला बन्दोबस्त कार्यालय में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) एवं अन्य सहायक बन्दोबस्त कार्यालय के लिए एक–एक वाहन, विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो को ईंधन हेतु परिवहन भत्ता के रूप में 700–1000 रूपये देने तथा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को 10000 रूपये एवं प्रभारी पदाधिकारी को 50000 रूपये के निकासी व्यय का अधिकार प्रदान करने हेतु नियमानुकूल प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

4. **विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में लगाए जाने वाले पिलर के संबंध में:–** प्रतिवेदित किया गया कि इस संबंध में दिनांक– 02.11.2020 को बैठक की गई है एवं प्राक्कलन संशोधित कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

    निदेश दिया गया कि पिलरों को पीला रंग से रंगकर उन पर काला रंग से लेखन किया जाए। पिलर पर होने वाले व्यय का यथाशीघ्र निर्धारण करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

5. **Marble के संबंध में:–** निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर पर तैयार किए गए Marble (Map and Record Base Land Entitlement) के सम्बन्ध में जिलों से सम्बन्धित समस्याओं पर सुझाव प्राप्त करने के लिए 15 नवंबर, 2020 से 15 दिसंबर, 2020 के मध्य सभी सम्बन्धित जिलों की प्रमण्डलीय बैठक का कार्यक्रम निर्धारण कर लिया जाए।

(अनुपालन–तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

6. **Modern Record Room:–** बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि प्रगति प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है, पुनः स्मारित किया जा रहा है।

    निदेश दिया गया कि सभी जिलों को अक्टूबर माह का प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

7. **प्रपत्र– 6 (खेसरा पंजी) में भरी जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में:–** बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि सभी जिलों को प्रविष्टियों की विवरणी उपलब्ध कराते हुए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

    निदेश दिया गया कि जिलों से सुझाव नहीं प्राप्त होने की स्थिति में निदेशालय स्तर पर अंतिम रूप प्रदान किया जाए।

(अनुपालन– जी0आई0एस0सलाहकार, बी0पी0एम0यू0 एवं तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

8. **प्लॉट के यूनिक आई0डी0 के सम्बन्ध में:–** बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि प्लॉट के यूनिक आई0डी0 निर्धारण के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य में इसके प्रयोग हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

निदेश दिया गया कि यह स्पष्ट किया जाय कि क्षेत्रीय स्तर पर प्लॉट यूनिक आई0डी0 की प्रविष्टि कैसे की जायेगी एवं अभिलेखों के साथ इसका Integration कैसे किया जायेगा। साथ ही इस सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्य का अनुश्रवण किस प्रकार किया जायेगा।

मानचित्रों में Legends के संबंध में प्रविष्टि करने के संबंध में जी0आई0एस0 सलाहकार, श्री चंदन कुमार को आगामी बैठक अंतिम रूप से प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–जी0आई0एस0सलाहकार, बी0पी0एम0यू0)

9. **प्लॉटर मशीन एवं नक्शा बिक्री के संबंध में:–** बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि मानचित्र की बिक्री के लिए कुल 41 प्लॉटर अधिष्ठापित किये गये है, जिनमें वर्त्तमान में 09 प्लॉटर खराब है, इनमें 06 Canon एवं 03 HP कम्पनी की है। इन मशीनों की वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है एवं उनके मरम्मति के लिए आवंटन की मांग की गई है।

समीक्षोपरान्त उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को निम्नाकिंत निदेश दिये गये–

(i) जिन प्लॉटर मशीन की मरम्मति पर अधिक राशि व्यय होनी है, उनके संबंध में उनसे संबंधित कम्पनियों से मशीन को वापस लेने के संबंध में वार्त्ता की जाए।
(ii) प्लॉटर मशीनों को क्रय करने के समय कम्पनियों से मशीन के रख–रखाव के साथ अनुबंध किया जाए तथा वर्त्तमान में कार्यरत मशीनों के वार्षिक रख–रखाव के संबंध में अलग से अनुबंध करने पर कार्रवाई की जाए।
(iii) विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित सभी 20 जिलों में अनिवार्य रूप से प्लॉटर का अधिष्ठापन किया जाए। वर्त्तमान में मधेपुरा में खराब प्लॉटर के स्थान पर सुरक्षित रखे गए 03 प्लॉटरों में से 01 प्लॉटर को अधिष्ठापित किया जाए एवं जिन स्थानों पर बार–बार मशीन खराब हो रही है, वहाँ भी नया प्लॉटर लगाया जाए।
(iv) सभी अंचलाधिकारियों को प्लॉटर को चुहों से बचाव के लिए टीन का बक्सा लगाने का एवं प्लॉटर के कम्प्यूटर के लिए यू0पी0एस0 एवं एंटीबायरस क्रय करने का निदेश दिया जाए।
(v) सभी प्रमण्डल स्तर के जिला मुख्यालय में लगे हुए प्लॉटर में पूरे राज्य का मानचित्र उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदत्त की जाए।
(vi) जिलों में प्लॉटर के अधिष्ठापन एवं अन्य कार्यों के लिए तत्काल निदेशालय से मो0 अली, उच्चवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना में की जाए।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना)

10. **बन्दोबस्त कार्यालय के लिए भाड़े पर भवन, वाहन के संबंध में:–** निदेश दिया गया कि जिला बन्दोबस्त कार्यालय में कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से संसाधन उपलब्ध कराये जाए। जिन जिला बन्दोबस्त कार्यालयों में कार्य के लिए स्थान का अभाव है, वहाँ भाड़े पर भवन लेने के लिए आवश्यक राशि के अनुमानित लागत का आकलन करते हुए आवंटन उपलब्ध कराया जाय। जिला बन्दोबस्त कार्यालयों में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) एवं अन्य सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के लिए एक–एक वाहन रखने के लिए आवश्यक निदेश के साथ आवंटन उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

11 **प्रपत्रों की छपाई :–** बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि प्रपत्रों की छपाई के संबंध में वित्त विभाग से अनापत्तिं प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र वित्त विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर जिलों को प्रपत्रों की छपाई के लिए निदेशित किया जाए।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

12. **MIS के आधार पर प्रगति की समीक्षा:–** MIS के आधार पर क्षेत्र में हो रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि अलग–अलग अधिकारिता क्षेत्र अन्तर्गत किए जाने वाले सारे कार्य प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो रहे हैं, अतः MIS से तैयार किए जाने वाले प्रतिवेदनों में शिविर द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों, एजेन्सी के कार्यों, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) के कार्यों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की कार्रवाई दी जाए।

(अनुपालन– प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

7/11/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249/2019...11176... **पटना, दिनांक :–**09-11-2020

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/11/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249/2019...11176... **पटना, दिनांक :–**09-11-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी/निदेशालय स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

7/11/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249/2019.........11176......... **पटना, दिनांक** :–09-11-2020

प्रतिलिपिः– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0, आई0एल0एण्ड एफ0एस0, जी0आई0एस0 कंसोर्टियम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/11/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249/2019.........11176......... **पटना, दिनांक** :–09-11-2020

प्रतिलिपिः– निदेशालय के सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप/जी0आई0एस0 सलाहकार,बी0पी0एम0यू0, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/11/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249/2019.........11176......... **पटना, दिनांक** :–09-11-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/11/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249/2019.........11176.........**पटना, दिनांक** :–09-11-2020

प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

9/11/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप